संख्या– 1999 /एक–10–2018–रा0–10

प्रेषक,

संजय कुमार,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ :: दिनांकः 19 जुलाई 2018

विषयः– बाढ़ के दौरान मॉडल राहत कैम्प तैयार कर संचालित किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि गत वर्षो की भांति इस वर्ष भी प्रदेश के कई जनपदों के बाढ़ की विभीषिका से प्रभावित होने की आशंका है। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर बाढ़ से प्रभावित होने वाले परिवारों/व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार राहत कैम्पों में अस्थाई रूप से रखा जाता है। इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि जनपद की प्रत्येक तहसील में न्यूनतम 01 राहत कैम्प को मॉडल राहत कैम्प के रूप में स्थापित कर संचालित किया जाए।

3– अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राहत कैम्पों की स्थापना एवं संचालन के संबंध में शासनादेश संख्या–2000 /एक–10–2018–रा0–10 दिनांक 19.7.18 में दिए गये निर्देशों के साथ–साथ मॉडल कैम्प में निम्न व्यवस्थाओं का भी समावेश किया जाए:–

1. राहत कैम्प हेतु किसी बड़े एवं आवागमन हेतु सुगम स्थल का चिन्हांकन किया जाय। राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण की गाइडलाइन के अनुसार प्रति व्यक्ति लगभग 3.5 वर्ग मीटर स्थान की व्यवस्था की जाए।
2. कैम्प के बाहर "मॉडल राहत कैम्प" का बैनर लगाया जाए।
3. राहत कैम्प में प्रतिदिन दो बार स्वच्छ एवं पौष्टिक भोजन की व्यवस्था (प्रतिदिन वयस्क पुरूष/महिला हेतु 2400 किलो कैलोरी युक्त एवं अवयस्क हेतु 1700 किलो कैलोरी युक्त) हेतु व्यवस्था की जाए तथा पूर्व से मेन्यू निर्धारित कर लिया जाए। बच्चो एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को दूध, फल, पौष्टिक आहार आदि उपलब्ध कराये जाए।
4. खाना खिलाने के लिए पृथक से एक हॉल/वाटरप्रूफ शामियाना की व्यवस्था की जाय जहां बैठकर खाने की उचित व्यवस्था हो।
5. भोजन बनाने के स्थल/रसोई घर व खाने वाले स्थान में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाय। हाथ धोने के लिए हैण्डवॉस सोप तथा भोजन परोसने के लिए स्वच्छ प्लेट, ग्लास आदि की व्यवस्था की जाए।
6. मॉडल राहत कैम्प के संचालन हेतु उप जिलाधिकारी से अन्यून अधिकारी को प्रभारी अधिकारी बनाया जाए जिसके सहयोग हेतु नोडल अधिकारी के रूप में तहसीलदार/नायब तहसीलदार की ड्यूटी लगाई जाय।
7. राहत कैम्प में Child Friendly Space (बच्चों के लिए खेलने एवं पढ़ने) की व्यवस्था की जाए। बच्चों के खेलने के लिए खिलौने तथा पढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग से शिक्षकों की ड्यूटी लगायी जाय।

Scanned by CamScanner

8. राहत कैम्प में सफाई व स्वच्छता हेतु नगर निगम/नगरपालिका, एन0जी0ओ0 एवं अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर Solid and Liquid Waste के डिस्पोजल हेतु योजना तैयार कर कियान्वयन किया जाय।
9. बाढ़ प्रभावित परिवारों को मॉडल राहत कैम्प के बारे में जानकारी प्रदान करने हेतु समाचार पत्र, मीडिया एवं अन्य संचार माध्यमों द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय।
10. मॉडल राहत कैम्पों में पीड़ित परिवारों को अतिरिक्त राहत/सामग्री प्रदान किये जाने हेतु जनपद के स्वयंसेवी संस्थाओं, रोटरी/लायंस क्लब, सिविल डिफेंस के पदाधिकारी एवं अन्य संस्थाओं के साथ बैठक कर आवश्यकतानुसार राहत सामग्री का प्रबंधन व वितरण की योजनाबद्ध व्यवस्था की जाय।
11. कैम्प के प्रबंधन में लगे हुए अधिकारियों/कर्मचारियों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं, रोटरी/लायंस क्लब, सिविल डिफेंस आदि के वालेन्टियर्स को पहचान पत्र प्रदान किये जाए तथा उन्हें अनिवार्य रूप से पहनने के लिए निर्देशित किया जाए ताकि कैम्प में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।
12. कैम्प में सुरक्षा हेतु सब–इन्सपेक्टर रैंक से अन्यून नोड़ल पुलिस अधिकारी की ड्यूटी लगाई जाए तथा महिला कान्सटेबल, पी0आर0डी0 या होमगार्ड़ के जवानों की पालीबद्ध ड्यूटी लगाई जाए।
13. राहत कैम्प की वीडियो फुटेज व फोटो आदि rahat@nic.in एवं upsdma@gmail.com पर प्रतिदिन अनिवार्य रूप से प्रेषित की जाए।
14. मॉडल कैम्प के संचालन हेतु जिलाधिकारी स्थानीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत अपने अभिनव प्रयोग एवं प्रयासों से शरणार्थियों को अन्य सुविधाएं भी प्रदान कर सकते है। राज्य आपदा मोचक निधि के मानकों के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि देय नही होगी। मॉडल राहत कैम्पों में रहने वाले शरणार्थियों का विवरण एवं कैम्प में होने वाले व्यय संबंधी अभिलेख सुरक्षित रखे जायेंगे।

4— शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के मॉडल राहत कैम्पों का सर्वे कराया जायेगा तथा प्रदेश के 05 उत्कृष्ट राहत कैम्पों का चयन कर उनके जिलाधिकारियों को सम्मानित किया जायेगा।

कृपया उपर्युक्तानुार अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजय कुमार)
सचिव एवं राहत आयुक्त

Scanned by CamScanner